13/11/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वाद वादी निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। नतीजा से कद होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2015/00228

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 193 GKAS/-2015/00228 दायर दिनांक : 11.08.2015

हेतराम पुत्र रामकिशन जाति खाती निवासी लालगढ़िया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादी

बनाम

1. खीवणी पत्नी रामकिशन जाति खाती निवासी लालगढ़िया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (मृतक)
2. बनवारी पुत्र रामकिशन जाति खाती निवासी लालगढ़िया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. पोलाराम } पुत्रगण रामकिशन जाति खाती निवासी कुलार
4. श्रीराम } तहसील अबोहर जिला फाजिल्का, पंजाब
5. पूनमचन्द } पुत्रगण बनवारी जाति खाती निवासी लालगढ़िया
6. खेताराम } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. उप—पंजीयक राजियासर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री विनोद कुमार बिश्नोई, अभिभाषक वादी
2. श्री राम प्रताप तिवाड़ी, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1, 5 व 6
3. श्री कैलाश पारीक, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2
4. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक : 13.11.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीया सं. 1, वादी की माता है व प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 वादी के भाई हैं एवं प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 वादी के भाई प्रतिवादी सं. 2 बनवारी के पुत्र हैं। प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से रोही कुम्भगढ़ तहसील सूरतगढ़ की खसरा नम्बर 2069 से 2072

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:38 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

के खाता सं. 25 के खसरा नं. 140/16 में 6.325 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, जो परिवार की मुखिया होने के नाते भूमिहीन श्रेणी में उनके नाम आवंटित की गई जो पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है। उक्त भूमि पर मुताबिक घरू बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण काश्त करते आ रहे हैं, जिसमें वादी के हिस्सा में 1/5 हिस्सा भूमि दी गई थी। उक्त बंटवारा से प्रतिवादीया सहमत थी। वादी ने अपने हिस्सा की भूमि को सुधार कर काबिल काश्त किया है व यही भूमि परिवार के जीवनयापन का सहारा है। वादी का अपनी माता प्रतिवादीया सं. 1 से अनबन हो जाने का फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 2 ने प्रतिवादीया सं. 1 को अपने बहकावे में लेकर जैरवाद भूमि को बिना प्रतिफल के अपने पुत्रों प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 के नाम से बैयनामा उप–पंजीयक राजियासर में दिनांक 18.07.2014 को करवा दिया। प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 जैरवाद भूमि को आगे बेचान करने अथवा भारी लोन उठाने पर तुले हुए हैं। प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 जैरवाद भूमि मात्र अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का फायदा उठाकर खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हैं। बैयनामा दिनांक 18.07.2014 वादी के हितों पर बेअसर है। जैरवाद भूमि पैतृक भूमि की श्रेणी में आती है। वादी ने प्रतिवादीया सं. 1 से जैरवाद भूमि में से अपने हिस्सा की मांग की तो उसने साफ मना करते हुए कहा कि जैरवाद भूमि पुत्र बनवारी द्वारा अपने दोनों पुत्रों प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 के नाम करवा ली है, प्रतिवादीया सं. 1 के हाथ में कुछ नहीं है। वादी ने पंचायत बुलाई व उपस्थित पंचायत के सदस्यों ने प्रतिवादीगण से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम करवाने को कहा तो वे इन्कार हो गये और धमकी दी कि वे सारी भूमि का बेचान कर देंगे, वादी को कुछ भी हिस्सा नहीं देंगे, इसलिए वादी ने वाद–पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 रोही कुम्भगढ़ खाता सं. 25 की सत्यापित प्रति, बैयनामा दिनांक 18.07.2014 खींवणी बहक पूनमचन्द वगैरह की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैरवाद रोही कुम्भगढ़ तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 140/16 की 6.325 है0 बारानी खातेदारी भूमि में से वादी को 1/5 हिस्सा यानि 1.265 है0 का खातेदार कृषक घोषित किये जाने व प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 के पक्ष में बिना प्रतिफल के करवाये गये बैयनामा दिनांक 18.07.2014 को

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादी के हितों पर निष्प्रभावी घोषित करने एवं वादी को प्राप्त 1/5 हिस्सा यानि 1.265 है0 बारानी खातेदारी भूमि के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 5 व 6 ने जवाबदावा पेश कर वाद में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि जैरवाद भूमि प्रतिवादीया सं. 1 को उसकी व्यक्तिगत हैसियत से आवंटित की गयी है। वादी को अलग से उसके स्वयं के नाम से 35 बीघा भूमि रोही गोपालसर के खसरा नं. 209 में आज से 32–33 वर्ष पूर्व आवंटन हो गयी। आवंटन से पूर्व वादी परिवार से अलग हो गया। जैरवाद भूमि प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से आवंटित व खातेदारी है, जिसे वह अपने जीवनकाल में बेचान, वसीयत कानूनन किसी के भी पक्ष में कर सकती है। प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 ने इस भूमि को खरीद किया है, जो कानूनन वैध है। खींवणी देवी ने अपनी स्वयं अर्जित भूमि को अपनी स्वेच्छा से प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 के पक्ष में बेचान की है। अब इस भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 का कब्जा काश्त है। वादी को रोही गोपालसर के खसरा नं. 209 में 35 बीघा भूमि व पोलाराम को भी रोही कुम्भगढ़िया के खसरा नं. 11 में 25 बीघा भूमि आवंटन हो चुकी थी और दोनों अपनी–अपनी भूमि पर काश्त कर उसका लाभ उठा रहे हैं। प्रतिवादीया को जैरवाद भूमि पहले टी.सी. पर आवंटन हुई व दिनांक 02.08.2007 को जरिये मिसल नं. 1648/07 को आवंटन अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा पुख्ता की गयी, तत्पश्चात् यह रकबा इ.गा.न.प. क्षेत्र से बाहर घोषित होने पर दिनांक 28.07.2008 को खातेदारी मिली है। यह भूमि पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में कतई नहीं आती है। वादी व पोलाराम को अलग से भूमि आवंटन हुई थी और वे अपनी भूमि पर काश्त कर रहे हैं एवं प्रतिवादीया से 32–33 वर्ष पूर्व अलग हो चुके हैं। जैरवाद भूमि प्रतिवादीया की है, जिसके बंटवारे का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता और ना ही कोई हिस्सा [illegible] पैदा होता है। महज दावे को रंगत देने के लिए झूठे तथ्य अंकित किये गये हैं। प्रतिवादीया 80 वर्षीय वृद्ध है। प्रतिवादीया की [illegible], सामान्य जीवन व्यतीत करने

क्रमशः ..... पेज 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हेतु पैसों आदि की पूर्ति वादी या प्रतिवादी सं. 3–4 ने कभी नहीं की। जैरवाद भूमि बारानी है, कभी कभार फसल होती है, इसलिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूर्ण प्रतिफल लेकर भूमि का बेचान किया है। जैरवाद खातेदारी भूमि में प्रतिवादीया के जीवनकाल में किसी का कोई भी हक व हिस्सा नहीं बनता। जैरवाद भूमि पैतृक न होकर प्रतिवादीया की स्वयं अर्जित भूमि है। हिन्दू विधि अनुसार हिन्दू नारी के कब्जा में कोई सम्पत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गयी हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर धारित की जावेगी। वादी का इस भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता। दावे को रंगत प्रदान करने के लिए झूठे तथ्य अंकित करवाये गये हैं, इसलिए वाद वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया। बावजूद रजिस्टर्ड सम्मन सूचना उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण सं. 3, 4 व 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। जवाबदावा प्रस्तुत होने के पश्चात् निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

1. आया रोही कुम्भगढ़ के खसरा नं. 140/16 में 6.325 है0 रकबा वादी की माता खींवणी के नाम से पुख्ता आवंटित है ? (वादी)
2. आया वादी की माता के नाम का पुख्ता आवंटित रकबा वादी के पूरे परिवार का आवंटन होने से पैतृक रकबा है व इस रकबा में वादी का 1/5 हिस्सा बनता है जिसे घोषित करवाने का वादी हकदार है ? (वादी)
3. आया वादी की माता ने दिनांक 18.07.2014 को बैयनामा प्रतिवादी नं. 5 व 6 के पक्ष में करवाया है, यह बैयनामा वादी के हितों पर बेअसर है ? (वादी)
4. आया वादी प्रतिवादीगण से अरसा दराज पूर्व ही अलग हो गया था, उसके नाम से अन्य रकबा आवंटन हो चुका है व प्रतिवादी पोलाराम को भी रकबा अलग से आवंटन हो गया है तथा जैरप्रकरण रकबा प्रतिवादीया को स्वयं को पुख्ता आवंटित व खातेदारी हुई है ? (प्रतिवादी)
5. आया बैयनामा आज भी कानूनन वैध है व प्रतिवादीया सं. 1 का रकबा स्वःअर्जित है, इसलिए वाद वादी [illegible]य है ? (प्रतिवादी)
6. अन्य अनुतोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:38 IST
Reason: SelfAttested

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् साक्ष्य लिये गये। साक्ष्य में वादी

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

ने स्वयं का बयान शपथ–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिरह वकील प्रतिवादीगण द्वारा समायत की गई। वादी और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते, इसलिए साक्ष्य वादी बन्द किये गये। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा जरिये वकील प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु हो जाने की सूचना दी गई व वादी ने जरिये वकील प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मय शपथ–पत्र, प्रतिवादी सं. 1 के मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारिस प्रमाण की सत्यापित चित्रप्रति प्रस्तुत निवेदन किया कि प्रतिवादीया सं. 1 की मृत्यु हो चुकी है, उनके स्वर्गवास उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 जायज वारिसान हैं, इसलिए कोई नया पक्षकार दर्ज नहीं करना है, अतः वाद–पत्र में प्रतिवादीया सं. 1 के आगे मृतक दर्ज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रार्थना–पत्र वादी स्वीकार कर प्रतिवादीया सं. 1 के आगे मृतक दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं. 2 ने दिनांक 17.08.2021 को जरिये अभिभाषक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जवाबदावा में लिखित कथन की पुष्टि हेतु फार्म नं. 3 के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत् 2042 गांव गोपालसर के खाता सं. 225 की प्रति, नकल इन्तकाल सं. 19 रोही गोपालसर की प्रमाणित प्रति व नकल गिरदावरी रोही गोपालसर सम्वत् 2042–43 खसरा नं. 209 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर इन्हें शामिल पत्रावली किये जाने का निवेदंन किया ताकि इन्हें प्रदर्श किया जा सके। वादी ने जरिये अभिभाषक दिनांक 19.08.2021 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर वाद–पत्र की पुष्टि हेतु जैरवाद भूमि की मूल आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत कर इसे शामिल पत्रावली किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 2 व वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों पर वादी व प्रतिवादीगण के अभिभाषकगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रार्थना–पत्र प्रतिवादी सं. 2 व वादी (दिनांक 17.08.2021 व 19.08.2021) स्वीकार कर शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादीगण सं. 2, 5 व 6 ने साक्ष्य में स्वयं के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जिन पर जिरह वकील वादी द्वारा समायत की गई। प्रतिवादीगण और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते, इसलिए साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये जाकर बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:38 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

विद्वान अभिभाषक वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैरवाद भूमि वादी की माता को परिवार को मुखिया होने के नाते उनके नाम से आवंटित की गई। चूंकि वादी के पिता का स्वर्गवास पूर्व में होने के कारण परिवार की मुखिया वादी की माता ही थी। जैरवाद भूमि पूरे परिवार को इकाई मानते हुए सभी के जीवनयापन के लिए आवंटित की गई थी। इस प्रकार पर जैरवाद भूमि में वादी सहित सभी का हक है तथा जैरवाद भूमि भूमिहीन की श्रेणी में आवंटित की गई थी जो पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है। वादी की माता की आवंटन पत्रावली में परिवार के सदस्यों के नाम अंकित है जिनमें वादी का नाम भी दर्ज है, जिससे साबित होता है कि जैरवाद भूमि परिवार के सभी सदस्यों को संयुक्त रूप से आवंटन हुई थी। परिवार की मुखिया होने के कारण वादी की माता के नाम आवंटन आदेश पट्टा जारी किया गया था, इसलिए जैरवाद भूमि परिवार के सभी सदस्यों की सांझा भूमि साबित होती है। अपने कथनों की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2014 (1) पेज सं. 209 एवं आर.आर.टी. 2015 (2) पेज सं. 1104 प्रस्तुत करते हुए वाद वादी स्वीकार किया जाकर जैरवाद भूमि रोही कुम्भगढ़ तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 140/16 की 6.325 है0 बारानी खातेदारी भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा घोषित किये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने जवाबदावा में अंकित तथ्यों को दोहराया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया कि जैरवाद भूमि प्रतिवादीया सं. 1 खीवणी देवी को उसकी व्यक्तिगत हैसियत से आवंटित की गयी है। वादी को अलग से उसके स्वयं के नाम से 35 बीघा भूमि रोही गोपालसर के खसरा नं. 209 में आज से 32–33 वर्ष पूर्व आवंटन हो गयी। आवंटन से पूर्व वादी परिवार से अलग हो गया। प्रतिवादी सं. 3 पोलाराम को भी रोही कुम्भगढ़िया के खसरा नं. 11 में 25 बीघा भूमि आवंटन हो चुकी थी और दोनों अपनी–अपनी भूमि पर काश्त कर उसका लाभ उठा रहे हैं। उक्त तथ्यों को वादी ने ना तो कोई खण्डन किया व ना ही इनका कोई जवाब दिया, जबकि वादी ने अपने साक्ष्य में प्रस्तुत ... की जिरह में इन्हें स्वीकार किया है। वादी ने वाद–पत्र में जैरवाद भूमि को ही अपने जीवनयापन का

क्रमशः ..... पेज 7 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

एकमात्र सहारा बताया है, जबकि वादी को रोही गोपालसर के खसरा नं. 209 में 35 बीघा भूमि आज से 32–33 वर्ष पूर्व आवंटन हो गयी थी और उस पर काबिज होकर आज तक काश्त करता आ रहा है। जैरवाद भूमि प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से आवंटित व खातेदारी है, जिसे अपने जीवनकाल में बेचान करने का पूरा अधिकार है। प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 ने जैरवाद भूमि को खरीद किया है, जो कानूनन वैध है। वादी ने ना तो वाद में अंकित किया व ना ही वाद के साथ कोई आधार प्रस्तुत किया कि जिससे साबित होता हो कि प्रतिवादीया सं. 1 जैरवाद भूमि प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 को बेचान करने की अधिकारिणी नहीं है या जैरवाद भूमि में उसके बच्चों का कोई हिस्सा बनता है। खींवणी देवी ने अपनी स्वयं अर्जित भूमि को अपनी स्वेच्छा से प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 के पक्ष में बेचान की है। अब इस भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 का कब्जा काश्त है। यह भूमि पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में कतई नहीं आती है। जैरवाद भूमि प्रतिवादीया सं. 1 के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर बेचान की गई है। जैरवाद खातेदारी भूमि में प्रतिवादीया के जीवनकाल में किसी का कोई भी हक व हिस्सा नहीं बनता। जैरवाद भूमि पैतृक न होकर प्रतिवादीया की स्वयं अर्जित भूमि है। हिन्दू विधि अनुसार हिन्दू नारी के कब्जा में कोई सम्पत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर धारित की जावेगी। अब हिन्दू नारी पूर्ण स्वामिनी की हैसियत से सम्पत्ति को बिक्री करने या किसी प्रकार भी हस्तान्तरित करने के लिए स्वतंत्र है। उसे सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी उसी प्रकार बना दिया गया है जिस प्रकार पुरूष सम्पत्ति का स्वामी होता है। संयुक्त परिवार के पुरूष सदस्य ही सहदायिक होते हैं, विधवाएं कोपार्सनर नहीं होतीं, इसलिए वे संयुक्त परिवार की कर्ता भी नहीं बन सकतीं। वाद में रंगत प्रदान करने के लिए झूठे तथ्य अंकित करवाये गये हैं, इसलिए वाद वादी खारिज किये जाने की प्रार्थना की। अपने कथनों की पुष्टि में हिन्दू विधि धारा 14(1) पेज सं. 426, धारा 34 पेज सं. 55[illegible] उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 पेज सं. 429, 435, पिताक्षरा संयुक्त हिन्दू [illegible] की संयुक्त सम्पत्ति धारा 71 पेज सं. 565, धारा 74 पेज सं. 566 प्रस्तुत किये। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार

क्रमशः ..... पेज 8 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

पक्षकारान की बहस का श्रवण करने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदरपूर्वक पठन किया गया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :

तनकी नं. 1 – आया रोही कुम्भगढ़ के खसरा नं. 140/16 में 6.325 है0 रकबा वादी की माता खींवणी के नाम से पुख्ता आवंटित है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए जैरवाद भूमि की मूल आवंटन पत्रावली मिसल सं. 101/2008 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की, जो कि दस्तावेजी साक्ष्य है। वादी ने इस तनकी को पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। तनकी नं. 1 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 2 – आया वादी की माता के नाम का पुख्ता आवंटित रकबा वादी के पूरे परिवार का आवंटन होने से पैतृक रकबा है व इस रकबा में वादी का 1/5 हिस्सा बनता है जिसे घोषित करवाने का वादी हकदार है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। वादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे सिद्ध होता हो कि वादी की माता के नाम का पुख्ता आवंटित रकबा वादी के पूरे परिवार का आवंटन होने से पैतृक रकबा है व इस रकबा में वादी का 1/5 हिस्सा बनता है जिसे घोषित करवाने का वादी हकदार है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह तनकी नं. 2 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 3 – आया वादी की माता ने दिनांक 18.07.2014 को बैयनामा प्रतिवादी नं. 5 व 6 के पक्ष में करवाया है, यह बैयनामा वादी के हितों पर बेअसर है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। वादी ने वाद–पत्र के साथ वादी की माता खीवणी द्वारा प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 के पक्ष में करवाये गये बैयनामा दिनांक 18.07.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, लेकिन यह बैयनामा वादी के हितों पर बेअसर है, परन्तु वादी ने उचित दस्तावेजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:38 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 9 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

साक्ष्य या न्यायिक दृष्टान्त पेश नहीं किये। वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2014 (1) पेज सं. 209 एवं आर.आर.टी. 2015 (2) पेज सं. 1104 इस तनकी को सिद्ध करने में सहयोगी नहीं हैं। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह तनकी नं. 3 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 4 – <u>आया वादी प्रतिवादीगण से अरसा दराज पूर्व ही अलग हो गया था, उसके नाम से अन्य रकबा आवंटन हो चुका है व प्रतिवादी पोलाराम को भी रकबा अलग से आवंटन हो गया है तथा जैरप्रकरण रकबा प्रतिवादीया को स्वयं को पुख्ता आवंटित व खातेदारी हुई है ?</u> (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए फार्म नं. 3 के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत् 2042 गांव गोपालसर के खाता सं. 225 की प्रति, नकल इन्तकाल सं. 19 रोही गोपालसर की प्रमाणित प्रति व नकल गिरदावरी रोही गोपालसर सम्वत् 2042–43 खसरा नं. 209 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जिससे सिद्ध होता है कि वादी के नाम रोही गोपालसर में अन्य रकबा आवंटित है। वादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत स्वयं के शपथ–पत्र के प्रतिपरीक्षण में वादी ने यह स्वीकार किया है कि वादी विवाह होते ही प्रतिवादीगण से अलग रहने लग गया और यह भी स्वीकार किया है कि वादी को रोही गोपालसर में व प्रतिवादी पोलाराम को रोही कुम्भगढ़ में रकबा अलग से आवंटन है। प्रतिवादीगण ने स्वयं के शपथ–पत्रों के माध्यम से भी इस तनकी को सिद्ध किया है। प्रतिवादीगण इस तनकी को सिद्ध करने में पूर्णतया सफल हुए हैं। तनकी नं. 4 बहक प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 5 – <u>आया बैयनामा आज भी कानूनन वैध है व प्रतिवादीया सं. 1 का रकबा स्वःअर्जित है, इसलिए वाद वादी खारिज योग्य है ?</u> (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए हि[illegible] धारा 14(1) पेज सं. 426, धारा 34 पेज सं. 558, हिन्[illegible] पेज सं. 429, 435, पिताक्षरा संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त [illegible]म्पत्ति धारा 71 पेज सं. 565, धारा 74 पेज सं. 566 प्रस्तुत किये, जिनके आधार पर हिन्दू नारी के कब्जा में कोई

क्रमशः ..... पेज 10 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सम्पत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर धारित की जावेगी। अब हिन्दू नारी पूर्ण स्वामिनी की हैसियत से सम्पत्ति को बिक्री करने या किसी प्रकार भी हस्तान्तरित करने के लिए स्वतंत्र है। उसे सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी उसी प्रकार बना दिया गया है जिस प्रकार पुरूष सम्पत्ति का स्वामी होता है। संयुक्त परिवार के पुरूष सदस्य ही सहदायिक होते हैं, विधवाएं कोपार्सनर नहीं होतीं, इसलिए वे संयुक्त परिवार की कर्ता भी नहीं बन सकतीं। इस प्रकार जैरवाद रकबा प्रतिवादीया सं. 1 का पूर्णरूप से स्वःअर्जित रकबा सिद्ध होता है, जिसे किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने का प्रतिवादीया सं. 1 को पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादीया सं. 1 द्वारा जैरवाद भूमि का प्रतिवादी सं. 5 व 6 के पक्ष में करवाया गया बैयनामा कानूनन वैध है। वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे उक्त बैयनामा सक्षम अदालत द्वारा कानूनन अवैध घोषित कर निरस्त किया गया हो। प्रतिवादी ने इस तनकी को सन्देह से परे सिद्ध किया है, इसलिए तनकी नं. 5 बहक प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 1 बहक वादी एवं तनकी नं. 2 व 3 विरुद्ध वादी तथा तनकी नं. 4 व 5 बहक प्रतिवादी निर्णय की जा चुकी है। तनकियों के निर्णय अनुसार जैरवाद रकबा प्रतिवादीया सं. 1 का पैतृक श्रेणी ना होकर स्वयं अर्जित रकबा है व प्रतिवादीया सं. 1 उसकी पूर्ण स्वामिनी है और अपने जीवनकाल में स्वेच्छा से किसी प्रकार से हस्तान्तरित करने का पूर्ण अधिकार है। बैयनामा दिनांक 18.07. 2014 कानूनन वैध है, किसी सक्षम अदालत द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। प्रतिवादीया सं. 1 के जीवनकाल में जैरवाद रकबा में वादी किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी वाद को सिद्ध करने में असफल रहा है, इसलिए वाद वादी निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेंचन अनुसार वाद वादी निरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :–

हेतराम पुत्र रामकिशन जाति खाती निवासी लालगढ़िया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादी

बनाम

1. खीवणीं पत्नी रामकिशन जाति खाती निवासी लालगढ़िया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (मृतक)
2. बनवारी पुत्र रामकिशन जाति खाती निवासी लालगढ़िया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. पोलाराम
4. श्रीराम

} पुत्रगण रामकिशन जाति खाती निवासी कुलार तहसील अबोहर जिला फाजिल्का, पंजाब

5. पूनमचन्द
6. खेताराम

} पुत्रगण बनवारी जाति खाती निवासी लालगढ़िया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

7. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. उप–पंजीयक राजियासर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद अन्तर्गत 88, 188, 207 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 193 वर्ष 2015 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री विनोद कुमार बिश्नोई व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1, 5, 6 श्री राम प्रताप तिवाड़ी एवं अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2 श्री कैलाश पारीक तथा पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी निरस्त किया जाता है।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×........... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×.............. फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के दिनांक 13.11.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.19 16:40:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)